न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा

पीठासीन अधिकारी : सुरेश कुमार, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 26/2020 नामान्तरकरण अपील

1. रमेश पुत्र हरिशंकर जाति ब्राह्मण उम्र 50 वर्ष निवासी जौहरी लाल का तिबारा, लालसोट जिला दौसा।

अपीलान्ट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लालसोट जिला दौसा।

रेस्पोडेन्ट

(अपील विरूद्ध आदेश तहसीलदार लालसोट बाबत् नामान्तरकरण संख्या 1070 दिनांक 15.02.1983 वाकै ग्राम लालसोट तहसील लालसोट जिला दौसा।

उपस्थिति :–: श्री वैभव गुरावा अधिवक्ता अपीलान्ट उपस्थित ।
: राजकीय अधिवक्ता उपस्थित।

–: निर्णय :– दिनांकः 27.06.2023

संक्षिप्त में अपील के तथ्य इस प्रकार से है कि प्रश्नगत नामान्तरकरण संख्या 1070 में वर्णित आराजी अपीलान्ट की तन्हा सहखातेदारी आधिपत्य की पैतृक कृषि भूमि वर्तमान खसरा नम्बर 1449 रकबा 1 बीघा 19 बिस्वा, खसरा नम्बर 1440 रकबा 5 बिस्वा, खसरा नम्बर 4525/1427 रकबा 17 बिस्वा, खसरा नम्बर 4524/1426 रकबा 5 बिस्वा, खसरा नम्बर 1436, 1437, 1438, 1441, 1443, 1444, 1450, 1452 कुल किता 8 कुल रकबा 5 बीघा 8 बिस्वा ग्राम लालसोट पटवार हल्का लालसोट तहसील लालसोट जिला दौसा में स्थित है। जिसमे अपीलान्ट का मुताबिक जमाबन्दी हिस्सा दर्ज हैं। उक्त वादग्रस्त आराजी पूर्व में अपीलान्ट के पिता हरिशंकर पुत्र गंगासहाय व अन्य भाइयों के नाम चली आ रही थी। लेकिन अपीलान्ट के पिता हरिशंकर की मृत्यू दिनांक 15.04.1981 को हो गई थी। हरिशंकर की मृत्यू के उपरान्त जब विरासत का नामान्तरकरण खुला तब अपीलान्ट के दस्तावेजात में अपीलान्ट के नाम रमेश के स्थान पर उपनाम दिलीप के नाम से नामान्तरकरण भर कर दिनांक 15.02.1983 को स्वीकार फरमा दिया। उक्त नामान्तरकरण संख्या 1070 दिनांक 15.02.1983 में अपीलान्ट के उपनाम दिलीप पुत्र हरिशंकर के स्थान पर रमेश पुत्र हरिशंकर जाति ब्राह्मण निवासी लालसोट के सही नाम का अंकन करवाये जाकर पुनः नामान्तरकरण तस्दीक करवाने बाबत् यह अपील अपीलान्ट इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

अपील पेश होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर तलबी रेस्पोडेन्ट की गयी। अधिवक्ता अपीलान्ट एवं राजकीय अधिवक्ता की बहस सुनी गई।

अधिवक्ता अपीलान्ट द्वारा बहस के दौरान निवेदन किया कि उक्त वादग्रस्त आराजी पूर्व में अपीलान्ट के पिता हरिशंकर पुत्र गंगासहाय व अन्य भाईयों के नाम राजस्व अभिलेख में पैतृक कृषि भूमि दर्ज थी। अपीलान्ट के पिता हरिशंकर की मृत्यू दिनांक 15.04.1981 को हो गई। उस समय जब विरासत का नामान्तरकरण खुला तब अपीलान्ट नाबालिग था एवं उसे घर में दिलीप नाम से पुकारते थे। उक्त वादग्रस्त आराजी के खातेदार हरिशंकर की मृत्यू के उपरान्त राजस्व एजेन्सी द्वारा दिनांक 15.02.1983 को विरासत का नामान्तरकरण संख्या 1070 दर्ज किया गया। जिसमे अपीलान्ट का नाम रमेश के स्थान पर उपनाम दिलीप के नाम से नामान्तरकरण भर कर स्वीकार फरमा दिया। अपीलान्ट रमेश जो कि मृतक हरिशंकर का वारिसा है जिसके दस्तावेजात में राजस्थान सरकार द्वारा जारी परिवार राशन कार्ड, पहचान पत्र, आधार कार्ड, बैंक पास बुक, फोटो पहचान पत्र, निर्वाचन क्षेत्र की वोटर लिस्ट यहां तक की अन्य जमाबन्दी में भी वर्तमान में अपीलान्ट का नाम रमेश पुत्र हरिशंकर चला आ रहा है

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

एवं अभी हाल ही में खसरा नम्बर 1440 कस्बा लालसोट का विरासत का नामान्तरकरण दिनांक 19.4.2018 को तस्दीक किया है। वह भी रमेश पुत्र स्व. हरिशंकर जाति ब्राह्मण निवासी लालसोट के नाम से ही तस्दीक किया है। परन्तु प्रश्नगत नामान्तरकरण संख्या 1070 में अपीलान्ट का नाम रमेश के स्थान पर दिलीप अंकित कर दिया एवं तहसीलदार लालसोट द्वारा बिना जांच किये ही दिनांक 15.02.1983 को उक्त नामान्तरकरण स्वीकार फरमा दिया। जिसके कारण अपीलान्ट को के.सी.सी. लोन तथा अन्य सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित होना पड रहा है। उक्त आराजी पर आज दिन तक अपीलान्ट का ही कब्जा है। अधिवक्ता अपीलान्ट द्वारा नामान्तरकरण संख्या 1070 दिनांक 15.02.1983 निरस्त फरमाया जाकर पुनः अपीलान्ट के हक में अपीलान्ट के उपनाम दिलीप पुत्र हरिशंकर के स्थान पर रमेश पुत्र हरिशंकर के सही नाम का अंकन कर नामान्तरकरण तस्दीक किये जाने के आदेश फरमाये जाने का निवेदन किया गया।

जवाब बहस में राजकीय अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया गया कि प्रश्नगत नामान्तरकरण संख्या 1070 दिनांक 15.02.1983 एवं अपील के संलग्न दस्तावेजात की प्रतियों का अवलोकन करने पर उक्त नामान्तरकरण से सम्बन्धित भूमि के मृतक खातेदार हरिशंकर पुत्र गंगासहाय के वारिसान के नाम नामान्तरकरण तस्दीक किया गया है। अपील वर्ष 2020 में प्रस्तुत की गई है। इतनी लम्बी अवधि पश्चात् अपील प्रस्तुत करने का कोई औचित्यपूर्ण कारण प्रस्तुत नहीं किया गया है।

हमने अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलान्ट द्वारा निवेदन किया गया है कि मृतक खातेदार हरिशंकर पुत्र गंगासहाय की विरासत का प्रश्नगत नामान्तरकरण तस्दीक करते समय अपीलान्ट का नाम रमेश पुत्र हरिशंकर के स्थान पर उप नाम दिलीप पुत्र हरिशंकर दर्ज कर दिया गया है। जिसे दुरूस्त करवाने हेतु यह अपील प्रस्तुत की गई है। ऐसी स्थिति मे मृतक खातेदार के वारिसान का निर्धारण इस न्यायालय द्वारा नहीं किया जा सकता है। अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत तथ्यों की जांच किये जाने हेतु उक्त प्रकरण को रिमाण्ड किया जाना हम उचित समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 1070 दिनांक 15.02.1983 वाकै ग्राम लालसोट तहसील लालसोट निरस्त किया जाकर प्रकरण तहसीलदार लालसोट को इस आशय के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि अपीलान्ट को सुनवाई एवं सबूत का समुचित अवसर दिया जाकर एवं मृतक खातेदार के विधिक वारिसान की जांच कर नियमोचित कार्यवाही करते हुये पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करे। निर्णय की प्रति तहसीलदार लालसोट को भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर नम्बर से कम हो एवं बाद पूर्ति प्रविष्ठ लेख भण्डार की जावे।

(सुरेश कुमार)
अति0 जिला कलक्टर ,दौसा

निर्णय आज दिनांक 27.06.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय की मुद्रा से खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(सुरेश कुमार)
अति0 जिला कलक्टर ,दौसा